15 नवंबर 2011 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 73 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 73 वीं बैठक 15 नवंबर 2011 को सायं 3.00 बजे कोच्ची के बोर्ड के मुख्यालय में संपन्न हुई। डॉ. ए.जयतिलक, भा.प्र.से, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. श्री रोय के. पाउलोस, उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. तोमस, सांसद(लो.स.) सदस्य
3. श्री एस. तंगवेलु, सांसद(रा.स.) ''
4. श्रीमती सुतापा मजूंदार ''
5. श्रीमती अमरीत राज ''
6. डॉ.एम. आनन्द राज ''
7. श्री तेजपाल सिंह (श्री मंगत राम शर्मा की नामिती)
8. डॉ. विजू जेकब सदस्य
9. श्री फिलिप कुरुविळा ''
10. श्री पी.जे. कुञ्ञच्चन ''
11. श्री के.एम. सुलतान इब्राहिम ''
12. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त ''
13. श्री अजय जे. मारिवाला ''
14. श्री माधवन ''
15. श्री अबुल कलाम ''
16. श्री जॉर्ज वैली ''
17. श्री जोजो जोर्ज ''
18. श्री जी. मुरलीधरन ''

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1. श्री अनन्त कुमार हेगडे, सांसद(लो.स.)
2. श्री संजीव चोपडा
3. श्री राजेन्द्र पी. गोखले
4. एड्वोकेट जोय तोमस
5. डॉ. देवेन्द्र कुमार धोडावत
6. श्री एन.सी.साहा
7. डॉ. जी. वेंकटेश्वर राव

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :

1. श्री के.सी. प्रधान
2. श्री उमेष कुमार
3. श्री के. के. सिंह

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री पी.एम. सुरेषकुमार, सचिव और प्रभारी निदेशक(विपणन)
2. श्री एस. सिद्दरामप्पा, निदेशक(विकास)
3. डॉ. एम.आर.सुदर्शन, प्रभारी निदेशक(अनुसंधान)
4. श्री के.आर.के. मेनोन, वैज्ञानिक 'सी'(गुणवत्ता)
5. डॉ. पी.एस.एस. तंपी, उप निदेशक(प्रचार)
6. श्री बी. श्रीकुमार, उप निदेशक(विपणन)
7. श्रीमती अमृता एम.जोर्ज, सहायक निदेशक(लेखा)

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने नए नियुक्त सदस्यों, नामतः श्री एस. तंगवेलु, सांसद(रा.स.), तिरुनलवेली, श्री के.एम.सुलतान इब्राहिम, तेनी, डॉ.एम.आनन्दराज, आई.आई.एस.आर, कोषिक्कोड का भी हार्दिक स्वागत किया जो पहली बार बोर्ड बैठक में भाग ले रहे थे।

अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश के गुना से नियुक्त बोर्ड सदस्य श्री देवेन्दर सिंह रघुवंशी का 30 सितंबर, 2011 को अपने गांव में ही निधन हो जाने के बारे में बोर्ड सदस्यों को सूचित किया । उन्होंने बताया कि रघुवंशीजी बोर्ड की बैठकों में बडे ही सक्रिय हुआ करते थे और गुना में हमारे कार्यालय केलिए उचित स्थान और गुना स्पाइसेस पार्क के लिए ज़मीन की खोज करने में उन्होंने बडी भूमिका निभाई है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में बीजीय मसालों पर बोर्ड के क्षेत्र प्रचार अभियान कार्यक्रमों में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था । वे एक बीजीय मसाला किसान थे। उनका निधन बोर्ड केलिए बडा नुकसान है । दिवंगत सदस्य के प्रति आदर स्वरूप एक मिनट का मौन रखा गया और एक शोक संकल्प पारित किया गया।

मद सं. 1: <u>30.05.2011 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 72 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

पुष्टि की गई ।

मद सं.2: <u>30.05.2011 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 72 वीं बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट</u>

श्री पी. एम. सुरेषकुमार, सचिव ने पिछली बोर्ड-बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई के बारे में बताया । बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.3: गु.मू.प्र., कोचिन को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण(एफ एस एस ए आई) का अनुमोदन

श्री फिलिप कुरुविला ने खाद्य सुरक्षा विनियम 2011 के अधीन नमूनों की जाँच करने में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के महत्व को रेखांकित किया । उन्होंने सूचित किया कि स्पाइसेस बोर्ड को मसालों के नमूनों की जाँच करने का एकमात्र प्राधिकृत केन्द्र बनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि एक बार स्पाइसेस बोर्ड और एफ एस एस ए आई के बीच समझौता हो जाने पर इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है।

मद सं.4: गुमिडीपूण्डी-चेन्नई की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का कार्य

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.5: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला,स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों की स्थिति

श्री के.आर.के. मेनोन, वैज्ञानिक 'सी'(गुणवत्ता) ने अनिवार्य नमूनन, जाँच व प्रमाणन के अधीन कोच्ची, मुम्बई, गुण्टूर व गुमिडिपूण्डी की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषित नमूनों की स्थिति का विस्तार से विवरण दिया।

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.6: स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनिवार्य नमूनन व गुणवत्ता विश्लेषण

श्री फिलिप कुरुविला ने सूचित किया कि ऑल इण्डिया स्पाइसेस एक्स्पोर्टर्स फोरम द्वारा यह मामला पहले ही उठाया जा चुका है । श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत ने संकेत किया कि मलेशिया ने इस वर्ष जुलाई में अपने खाद्य सुरक्षा मानकों का संशोधन किया है और सलाह दिया कि मसाला उद्योग के बीच वितरित करने केलिए इसकी एक प्रति प्राप्त की जाय। भले ही स्पाइसेस बोर्ड की अपनी अनिवार्य गुणवत्ता जाँच प्रणाली है फिर भी उन्होंने बोर्ड की प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार किए जानेवाले परिणामों को अन्य देशों द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया । जापान द्वारा भारी लोह सहित 742 से अधिक रसायनों को पहचान लेने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा चीनी मिर्च को कडी गुणवत्ता जाँच के अधीन रखे जाने के संदर्भ में भारत को जापान की तरफ निर्यात बढाने का अवसर बढाने हेतु इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।

श्रीमती सुतापा मजुंदार ने मत प्रकट किया कि हमें सभी देशों की ओर की निर्यात प्रक्रिया में एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । निर्यातकों को प्रत्येक देश के खाद्य सुरक्षा मानकों को बरकरार रखने केलिए उचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने निर्यातकों के बीच आपस में जानकारी बाँटने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मद सं.7: आई आई पी, मुम्बई द्वारा उचित पैकेजिंग प्रणाली के विकास के बदौलत परिवहन/संभरण के दौरान एफ्लाटोक्सिन कम करने पर अध्ययन

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.8: वर्ष 2010-11 केलिए छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

श्री एस. सिद्दरामप्पा ने वर्ष 2010-11 केलिए उत्पादकता पुरस्कार के बारे में सूचित किया। इस पुरस्कार केलिए केवल एक ही नामांकन था।

श्री जोजो जोर्ज ने एकल आवेदक को पुरस्कार दिए जाने की प्रक्रिया पर शंका जताई । पुरस्कार को सार्थक बनाने केलिए अधिक आवेदक होना च़ाहिए। आवेदक को पुरस्कार का पात्र बनने हेतु आवश्यक ज़मीन का क्षेत्रफल और उपज मालूम करने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने ने जानना चाहा। उपज पहचानने की प्रक्रिया की कार्यप्रणाली दोहराई जाए । उपज के बारे में किए गए अनुमानन के बारे में प्रत्येक किसान को भी सूचित किया जाय।

श्री पी.टी.तोमस, माननीय सांसद ने पुरस्कार केलिए आवेदन आमंत्रित करते हुए माध्यमों के ज़रिए व्यापक प्रचार किए जाने की बात सुझाई । उन्होंने बोर्ड को पुरस्कार विजेताओं के निर्णय केलिए सदस्यों की एक उपसमिति का गठन करने को प्रेरित किया । चयन की शर्तें भी निर्धारित की जानी चाहिए। श्री एस.तंगवेलु, माननीय सांसद ने भी कहा कि स्थानीय अखबारों में स्थानीय भाषाओं में विज्ञापन दिया जाना चाहिए।

श्री जी. मुरलीधरन ने इस बात की ओर संकेत किया कि जैसेकि साल की उपज आज भी ज़ारी है; 2010-11 केलिए उपज का आकलन संगत नहीं है।

श्री के.एम.सुलतान इब्राहिम ने भी कहा कि पुरस्कार का विज्ञापन कहीं भी नहीं निकला है । पुरस्कार और पुरस्कार केलिए कैसे चुने जाते हैं, इसके बारे में किसान को पता नहीं है। उपज आकलन की वर्तमान कार्यप्रणाली भी उचित नहीं हैं।

श्रीमती सुतापा मजुंदार ने पुरस्कार विजेताओं के चयन केलिए कृषि विशेष मार्गनिर्देशों के महत्व की ओर संकेत किया ।

डॉ. एम.आर.सुदर्शन, निदेशक(अनु.) ने बताया कि फूल, संपुट आदि के आधार पर उच्च कटाई अवधि के दौरान किसी भी वक्त हम उपज का आकलन कर सकते हैं । यह आकलन सांख्यिकी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है ।

विस्तृत चर्चा के बाद अगले वित्तीय वर्ष से लेकर पुरस्कार विजेताओं का निर्णय करने तथा इस संबंध में आवश्यक मार्गरेखाएँ तैयार करने केलिए सर्वश्री रोय के. पाउलोस, जोजो जोर्ज, जी. मुरलीधरन तथा अबुल कलाम सहित पाँच सदस्यों की एक उपसमिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक स्थान में उपज आकलन के मूल्यांकन हेतु औसतन तीन दौरे चलाने चाहिए। इलायची कृषकों को उच्च गुणवत्ता-युक्त इलायची पैदा करने में प्रोत्साहन देने और अधिकाधिक आवेदन प्राप्त करने केलिए तमिल, कन्नड व मलयालम के स्थानीय अखबारों में पुरस्कार वितरण के बारे में विज्ञापन जारी करने का भी निर्णय लिया गया।

फिर भी, बोर्ड ने इस वर्ष केलिए कार्य-सूची पर टिप्पणी में सुझाए अनुसार कोल्ली हिल्स के श्रीमती एन.शिवकामी को प्रथम पुरस्कार दिए जाने का अनुमोदन किया।

मद सं.9: वर्ष 2010-11 केलिए बडी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

बोर्ड ने बडी इलायची केलिए उत्पादकता पुरस्कार जैसे कि कार्यसूची पर टिप्पणी में निहित है, का अनुमोदन किया।

मद सं.10: 2011-12 की अवधि के दौरान बाँस चटाइयों की आपूर्ति

निदेशक(विकास) ने जब बाँस चटाइयों की आपूर्ति के बारे में बताया तब श्री अबुल कलाम ने कालीमिर्च सुखाने केलिए काँक्रीट फर्श तैयार करने केलिए इमदाद देने की शुरुआत करने का सुझाव दिया । इस पर निदेशक(विकास) ने बताया कि पिछली प्लान अवधि के दौरान यह योजना चालू थी और भ्रष्टाचार की कुछ घटनाओं के कारण इसे रोक दिया गया। श्री अबुल कलाम ने भी इस पर ध्यान दिलाया कि कुछ लाभग्राही एक ही योजना केलिए स्पाइसेस बोर्ड, राज्य कृषि विभाग तथा कॉफी बोर्ड से इमदाद के लाभ उठाते हैं।

बोर्ड ने योजना का कार्यान्वयन नोट किया ।

मद सं.11: स्पाइसेस बोर्ड के तत्वावधान में पूर्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन स्पाइसेस ग्रोवर्स सोसाइटी के गठन केलिए प्रस्ताव

चूँकि बोर्ड हमेशा किसानों की हालत से भी चिंतित है, इसलिए अध्यक्ष महोदय ने स्पाइसेस ग्रोवर्स सोसाइटी(एस जी एस) का गठन करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। प्रस्तावित सोसाइटी कंपनी अधिनियम के बदले पूर्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन गठित की जानी चाहिए । यह सोसाइटी अपने सदस्यों को, खासकर लघु किसानों को उनकी सामुदायिक व अर्थिक स्थिति के संपूर्ण विकास केलिए, तकनीकी व वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यरत एक लाभ-रहित संस्था होगी । एस जी एस की स्थापना केलिए व्यापक मार्ग-रेखाएँ भी तैयार की गईं ।

श्री जोजो जोर्ज ने ऐसी एक सोसाइटी के गठन को स्पाइसेस बोर्ड की ओर से की गई एक सर्वोत्तम पहल कहा । वैसे दो हेक्टयर तक की ज़मीन वाले किसानों तक लाभ सीमित रखने के बजाय इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तारण चार हेक्टयर तक की ज़मीन वालों को भी शामिल करके किया जा सकता है क्योंकि ''लघु किसान'' के वर्ग निर्धारित करने का आधार चार हेक्टयर है। श्री पी.टी.तोमस भी इससे सहमत हुए ।

श्री फिलिप कुरुविला ने तकनीकी व वैज्ञानिक जानकारी के उन्नयन के उद्देश्य से स्पाइसेस बोर्ड द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की। इस प्रस्तावित सोसाइटी के कार्य में कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए । यह कार्यक्रम केवल इलायची व कालीमिर्च किसानों केलिए सीमित रखने के बजाय, दूसरों को भी, खासकर जब हमारी 12 वीं पंच-वर्षीय योजना कार्यक्रमों में दस फसलों, नामतः हल्दी, अदरक, इलायची, कालीमिर्च, जायफल, पुदीना, लालमिर्च, पैप्रिका मिर्च, जीरा व लहसुन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है , इससे लाभ प्राप्त होना चाहिए।

श्रीमती सुतापा मजुंदार का मत था कि इस कार्यक्रम को हमारे अधिकार क्षेत्र की इलायची और कालीमिर्च तक ही सीमित रखा जाय। उन्होंने इस योजना केलिए निर्धारित एक शर्त, जैसेकि **'' जब स्पाइसेस बोर्ड की विकास/विपणन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है तब सोसाइटी के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी''** पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया ।

श्री जोर्ज वैली ने बताया कि रबड बोर्ड, रबड प्रोड्यूसर्स सोसाइटी के कार्य केलिए 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दे रहा है। स्पाइसेस बोर्ड को वित्तीय परिव्यय के साथ एस जी एस की वित्तीय सहायता की जानी चाहिए। इसके अलावा, बडे किसानों को भी इस योजना के अधीन शामिल किया जाना चाहिए । शुरूआत के तौर पर, कालीमिर्च और इलायची कृषक को शामिल कर सकते हैं। सोसाइटी के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर बाद में अन्य मसालों को भी हम शामिल कर सकते हैं। श्री पी.टी. तोमस ने एस जी एस के कार्य केलिए निधि एकत्रित करने केलिए स्रोत पहचान पाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया । सदस्यता की संख्या सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डॉ.विजू ज़ेकब ने मिर्च व जायफल को भी इनके निर्यात की मात्रा के आधार पर शामिल करने का आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि यह योजना सभी किसानों केलिए हैं जो इसमें रुचि रखते हैं। विस्तृत चर्चा के बाद पाम्पाडुम्पारा में एस जी एस(इलायची) तथा कामाक्षी में एस जी एस(कालीमिर्च) की पाइलेट परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मद सं.12:- वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना

श्री बी. श्रीकुमार, उप निदेशक(विपणन) ने सदस्यों को सूचित किया कि यह योजना चार हेक्टयर तक के संपदा वालों पर ही लागू होगी । अनियत मज़दूर भी लाभ केलिए पात्र होंगे।

श्री जोर्ज वैली ने पूछा कि चार हेक्टयर से अधिक ज़मीनवालों के मामले में यह योजना क्यों लागू नहीं है, जबकि वे मज़दूरों की प्रीमियम भरने केलिए तैयार हैं। उनके अनुसार चार हेक्टयर से अधिक ज़मीनवालों को इसके लाभ से वंचित रखना ठीक नहीं है।

श्री पी.टी.तोमस ने आग्रह किया कि सभी मज़दूरों को शामिल करें ताकि कोई मज़दूर छूट न जाय। श्री अबुल कलाम ने कहा कि कर्नाटक में कोई स्थाई मज़दूर उपलब्ध नहीं हैं जो एक प्रमुख समस्या है।

बोर्ड ने मज़दूरों केलिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के कार्यान्वयन का स्वागत किया ।

मद सं.13:- घरेलू विपणि संरचना, वृद्धि और भावि परिदृश्य के संबंध में इलायची पर अध्ययन

निदेशक(विपणन) ने इलायची पर अध्ययन की मुख्य विशेषताओं का विवरण दिया ।

श्री जोर्ज वैली के अनुसार, यह एक विरोधाभास है कि ग्राहक एक किलो इलायची केलिए 1600/- रु. तक का उच्च मूल्य दे रहा है जबकि किसानों को एक किलो पर औसतन केवल 500/- रु. ही मिल रहा है। इलायची कृषकों को या तो आनुपातिक उच्च दाम मिलना चाहिए, नहीं तो अंतिम उपभोक्ता को इलायची कम दाम पर मिलनी चाहिए। 1000/- रु. और 500/- रु. के बीच फासला बहुत अधिक है जो किसी भी हालत में युक्तिसंगत नहीं है। उन्होंने बोर्ड से इलायची का घरेलू उपभोग बढाने केलिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया ।

श्रीमती अमरीत राज ने स्मरण दिलाया कि हमारा अधिकार केवल निर्यात संवर्धन का ही है । श्री पी.टी. तोमस ने उत्पादकों को अधिक दाम मिलने केलिए इलायची नीलाम प्रणाली में संशोधन या सुधार लाने का आग्रह किया ।

श्री जोजो जोर्ज ने उच्चतर बजट आबंटन के साथ विपणि अनुसंधान के अध्ययन के क्षेत्र को भी बढाने का आग्रह किया ।

बोर्ड ने इलायची पर अध्ययन नोट किया ।

मद सं.14: इलायची विपणि संवर्धन

डॉ. पी.एस.एस. तंपी, उप निदेशक(प्रचार) ने इलायची की खपत बढाने केलिए बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया जिनसे किसानों को लाभकारी दाम का फायदा मिलता है। माध्यमों, सिनेमा हॉलों, ट्रेनों, हवाई जहाजों आदि के ज़रिए घरेलू विपणि में सुधार लाने के उद्देश्य से विज्ञापन दिए जा रहे हैं । इलायची खाद्य समारोहों का आयोजन इस तरह के अभियानों का दूसरा चरण है। दीपावली उपहार की तरह, बोर्ड लोगों के बीच वितरण केलिए कुछ मसाला उपहार पैकेटों के बारे में विचार कर सकते हैं।

यह भी नोट किया गया कि सात सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा साउदी अरब के दौरे के दौरान भारतीय राजदूतावास और वहाँ के चेम्बर ऑफ कॉमर्स व इण्डस्ट्री के सहयोग से क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन जेद्दा, रियाद और दमाम में किया जाएगा । भारतीय राजदूतावास/कांसुलावास से बैठक केलिए उचित स्थानों का चयन करने का अनुरोध किया गया है।

मद सं.15: बारहवी पंच-वर्षीय योजना-प्रस्ताव-मुख्य विशेषताएँ

चर्चा की पहल करते हुए श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत ने पेशेवर पैरवी की आवश्यकता के बारे में कहा जिससे स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निणयलेनेवालों को संक्षिप्त रूप में अच्छी तरह समझा जा सकें। हमें पेशेवर पैरवीदलों के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि हमारी समस्याओं व मांगों को वैश्विक नियामकों के आगे रखा जा सके। स्पाइसेस बोर्ड को अपना तकनीकी फोरम बनाना चाहिए । उन्होंने भारतीय उत्पादों केलिए एक ''ब्रैण्ड इण्डिया'' प्रतीक विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो, बेनज़ीब किसानों की जिन्दगी में सुधार लाने केलिए अपने योगदान देने में विश्वास रखनेवाले ग्राहकों को आकर्षित करेगा। कालीमिर्च का दाम अभी 335/- रु. प्रति किलो पहुँच गया है, लेकिन किसान को क्या मिलता है? उन्होंने पूछा । यहाँ एक सामूहिक जिम्मेदारी चाहिए । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि प्रदर्शित किए जानेवाले नमूने एक कहानी के साथ ब्रैण्ड इण्डिया का उन्नयन करें । मेलों में स्पाइसेस बोर्ड के स्टॅल बडे होने चाहिए । हमें फेयर ट्रेड एसोसिएशनों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है जो जैविक से अधिक लोकप्रिय बन रहा है। हमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर भी एक नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के उत्पाद यहाँ की औरतों व बच्चों के कल्याण केलिए सहायक सिद्ध हो जाय। चीन व मिस्र के मसालों की तुलना में भारतीय मसाले प्रदान करते हुए हमें यह देखना है कि मसालों के अंतिम उपभोग में कहाँ हम उसके मूल्य बढा सकते हैं।

श्रीमती सुतापा मजुंदार भी श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत के सुझावों से सहमत हुई । वक्ता के रूप में पैरवी केलिए , सरकार के साथ मामले की चर्चा की जाय।

श्री फिलिप कुरुविला ने गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में मसालों की खेती करने की महत्ता पर जोर दिया। आई आई एस आर के पास अधिक अनुसंधान कार्मिक होंगे जो हमारी सहायता केलिए आगे आ सकते हैं । हमें विशेष उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए । खेती से ग्राहक तक की जो कडी है वह गायब हैं ।

डॉ. विजू जेकब ने बताया कि ईरोड हल्दी बहुत ही कम कर्क्युमिन घटक वाली घटिया किस्म की है और कम गुणवत्तावाली ईरोड हल्दी अच्छे दाम पाने केलिए उच्च गुणवत्तायुक्त केरला हल्दी के साथ मिलायी जाती है।

डॉ. एम. आनंदराज ने कहा कि लकदोंग हल्दी किस्म भी 5.5 प्रतिशत कर्क्युमिन घटक सहित अच्छी गुणवत्तायुक्त है जबकि आलप्पी हल्दी में यह 6.5 प्रतिशत है।

श्रीमती अमरीत राज ने सुझाया कि अंतर्राष्ट्रीय मेलों में लघु-निर्यातकों को भी शामिल करें ।

श्री पी.टी.तोमस ने कहा कि इडुक्की जिले में, जहाँ द्रुत गलन रोग व्यापक है, बोर्ड द्वारा लघु किसानों की एक बैठक आयोजित की जाएं । निष्कर्षण केलिए कालीमिर्च उपलब्ध नहीं है। हमें कालीमिर्च जैसे उत्पादों के अनुपम गुणों को पहचान लेना चाहिए। इस मामले में आई आई एस आर बोर्ड की मदद कर सकता है।

मद सं.16: मसाला पार्कों की स्थापना की स्थिति

डॉ. एम. आनन्दराज ने चाहा कि ये मसाला पार्क ऊर्जा के पुनःनवीकरण योग्य स्रोतों सहित ग्रीन मसाला पार्कहो जाए।

श्री पी.टी.तोमस और श्री जी.मुरलीधरन ने पच्चडी के मसाला पार्क की स्थिति के बारे में जानना चाहा जिसकेलिए 2007 में केरल सरकार ज़मीन आबंटित करने केलिए राज़ी हो गई थी।

बोर्ड ने मौजूदा मसाला पार्कों की स्थापना की प्रगति नोट की ।

मद सं.17: गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की स्थिति

बोर्ड ने प्रगति नोट की ।

मद सं.18: इ-नीलाम प्रणाली सहित इलायची के घरेलू विपणन को नियंत्रित करनेवाले मौजूदा नियमों व विनियमों की पुनरीक्षा/संशोधन केलिए विशेषज्ञ समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इ-नीलाम प्रणाली को नियंत्रित करनेवाले मौजूदा नियमों में काफी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना आवश्यक है। नए विनियमों को तैयार करने में कृषकों, नीलामकर्ताओं, व्यापारियों व निर्यातकों को शामिल करके एक समिति का गठन किया जाय।

श्री के.एम.सुलतान इब्राहिम ने जानना चाहा कि नीलाम में इलायची लाने केलिए कौन पात्र है। उन्होंने उस समय के निदेशक(विपणन) द्वारा 2008 में ज़ारी परिपत्र का भी ज़िक्र किया ।

श्री पी.टी.तोमस ने वर्तमान इलायची नीलाम प्रणाली में पूरी तरह तब्दीली लाने का आग्रह किया। सिर्फ इस नीलाम प्रणाली के कारण ही किसान मूल्य ह्रास की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें लगा कि एक समिति द्वारा इन मुद्दों की जाँच कर आगे की कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।

श्री जी.मुरलीधरन ने कहा कि पुनरावृत्ति का समय कम है, क्रेता को पुनर्विचार व मूल्य में संशोधन केलिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। नीलाम की मात्रा की जानकारी नीलाम के पहले नीलामकर्त्ताओं को देने की आवश्यकता नहीं है।

चर्चा के बाद, वर्तमान इ-नीलाम प्रणाली के नियोजन सहित इलायची के घरेलू विपणन के मौजूदा नियमों व विनियमों की समीक्षा/संशोधन केलिए श्री जोजो जोर्ज, श्री के.एम.सुलतान इब्राहिम, श्री जोर्ज वैली, श्री जी.मुरलीधरन व श्री माधवन सहित श्री रोय के. पाउलोस की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति उद्योग के पणधारियों के प्रतिनिधियों से सहयोग ले सकती है। समिति को तीन महीने के भीतर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

मद सं.19: अप्रैल-सितंबर 2010 की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2011 के दौरान भारत से मसालों के निर्यात की समीक्षा

श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त ने सुझाया कि सिरिया, जो जीरा के सबसे बडा उत्पादक व निर्यातक देश है, जैसे देशों की वर्तमान राजनैतिक स्थिति के कारण उत्पन्न अवसर से लाभ उठाएँ । उपभोक्ता अब भारत की ओर मुड रहे हैं। फिर भी भारतीय जीरे को हानिकर अपतृणों के कारण स्वीकारा नहीं जाता है। हम ए एस टी ए के साथ मिलकर भारतीय जीरे के हानिकारक अपतृणों की छवि को हटाने का प्रयास कर सकते हैं।

श्री फिलिप कुरुविला का मत था कि अनजाने में भी यू एस देश उपतृणों का आयात नहीं करने देगा । इसका एक स्वास्थ्य-नाशक न होने के बावजूद भी वे अपने देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं ।

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.20: अप्रैल-सितंबर 2010 की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2011 के दौरान भारत में मसालों के आयात की समीक्षा ।

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.21: वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 केलिए निर्यात में उत्कृष्टता केलिए मसालों के निर्यातकों को पुरस्कार व ट्रोफियाँ प्रदान करना

निदेशक(विपणन) ने पुरस्कार प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताया। पुरस्कार व ट्रोफियों केलिए निर्यातकों से आवेदन का विवरण अखबारों में भी प्रकाशित किया जा सकता है।

बोर्ड द्वारा उत्पादों के नवप्रवर्तक के चयन की प्रणाली का अनुमोदन किया गया ।

मद सं.22: आई पी सी पुरस्कार

निदेशक(विपणन) ने सूचित किया कि 15 नवंबर, 2011 तक, आई पी सी पुरस्कार केलिए छः आवेदन भेजे गए हैं।

श्री पी टी तोमस ने पूछा कि सफेद कालिमिर्च तैयार करने केलिए क्या कोई इमदाद या संवर्द्धनात्मक योजना विद्यमान है ? हमें इस क्षेत्र में किसानों केलिए कुछ न कुछ सहायता देनी चाहिए ताकि उन्हें अपने उत्पाद केलिए दुगुना दाम मिल जाएँ ।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि स्पाइसेस बोर्ड को कालिमिर्च पुनरोपण और पुनर्युवन कार्यक्रमों का ही अधिदेश है।

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.23: मसाला भवन प्रमाणन

श्री फिलिप कुरुविला ने गुणवत्ता मानक बढाने के बारे में बताया । ई.यू. आयोग के प्रतिनिधियों ने स्पाइसेस बोर्ड के अपने दौरे के दौरान गुणवत्ता प्रणाली व प्रमाणन के उन्नयन व मानीटरिंग के महत्व पर जोर दिया था । एफ एस एस ए आई की खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका है जिससे उनके साथ रजिस्टर किया जाना आवश्यक है। अगर स्पाइसेस बोर्ड एक नए प्रमाणन के साथ सामने आता है तो एफ एस एस ए आई उसका अनुमोदन करेगा। फोकस अभी एफ एस एस ए आई और खाद्य सुरक्षा नियम की तरफ मुड गया है। खाद्य क्षेत्र में शीघ्र परिवर्तन हो रहा है। वहाँ हमारी ओर से प्रलेखीकरण की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। हम अभी 'गुणवत्ता' से 'सुरक्षा' की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ तक मसाला कृषकों को भी क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग व वेयर हाउसिंग की सुरक्षा प्रक्रियाओं से होकर गुज़रना पडेगा।

श्रीमती सुतापा मजुंदार भी प्रमाणन प्रणाली में तब्दीली लाने की आवश्यकता से सहमत हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि श्रमशक्ति की कमी के कारण प्रमाणन प्रक्रिया में हमारी सहायता केलिए प्रत्यायन अभिकरण की नियुक्ति के बारें में हम विचार कर सकते हैं।

श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त ने कहा कि जब तक कृषि व फसलोत्तर प्रणालियों में सुधार नहीं होता तब तक गुणवत्ता प्रणाली में कोई सुधार नहीं होनेवाला है। हमें इस मामले में कृषि मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क रखना चाहिए ।

बोर्ड ने मसाला भवन प्रमाणन के तरीके के संशोधन का अनुमोदन किया।

मद सं.24: अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय की 39 वाँ सत्र व बैठकें ।

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.25: विश्व मसाला काँग्रेस

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.26: लोकप्रिय घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों में स्पाइसेस बोर्ड के स्टैण्डों की डिज़ाइन व स्थापना केलिए पेशेवरों को लगाना

बोर्ड ने अनुमोदन किया ।

मद सं.27: जायफल, बीजीय मसालों के लिए उत्तर भारत में तथा मिर्च केलिए आन्ध्र प्रदेश में गुणवत्ता सुधार-क्षेत्रीय प्रचार अभियान

उप निदेशक(प्रचार) ने जायफल, बीजीय मसाले व मिर्च केलिए विश्व मसाला संगठन के सहयोग से स्पाइसेस बोर्ड द्वारा चलाए गए व्यापक क्षेत्र प्रचार व गुणवत्ता सुधार अभियानों के बारे में विवरण दिया । जायफल केलिए उपयुक्त ड्रायर की खोज केलिए एक समिति का भी गठन किया गया ।

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.28: सुगन्ध दर्शन

बोर्ड ने प्रस्ताव को नोट किया ।

मद सं.29: सुगन्ध विद्यालय

बोर्ड ने नोट किया ।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि इलायची की खपत बढाने के भाग के रूप में हम विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र के साथ-साथ इलायची के छोटे-छोटे पैकेट भी दे सकते हैं।

मद सं.30: माननीय लघु निर्यात फसल संवर्धन मंत्री, श्रीलंका द्वारा स्पाइसेस बोर्ड का दौरा

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.31: वर्ष 2010-11 केलिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखाओं पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

बोर्ड ने वर्ष 2010-11 केलिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखाओं पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुमोदन किया।

मद सं.32: वर्ष 2011-12 केलिए बोर्ड की बागान श्रम कल्याण योजना

बोर्ड ने बागान श्रम कल्याण योजना के कार्यान्वयन केलिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 10.00 लाख के बजट प्रावधान का अनुमोदन किया।

मद सं.33: माननीय मुख्य मंत्री, केरल के साथ बैठक और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई

सदस्यों ने इलायची के दामों में हुई भारी गिरावट के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की ।

श्री के.एम.सुलतान इब्राहिम ने इलायची केलिए न्यूनतम समर्थन कीमत की आवश्यकता पर ज़ोर दिया क्योंकि श्रमिकों का वेतन, खादों का दाम आदि में वृद्धि हुई है।

श्री जी. मुरलीधरन ने कहा कि आज इलायची का दाम 480-500 रु. प्रति किलो है। किसानों केलिए मसाला पार्क के वेयरहाउस फायदेमंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर भण्डारित इलायची के दाम का केवल 60-70 प्रतिशत ही बैंक देते हैं। श्रमिकों का वेतन भी बढ गया है और श्रमिकों को तमिलनाडु से लाना पडता है ।

श्री जोर्ज वैली ने व्यक्त किया कि अगर उत्पाद नहीं है तो निर्यात भी नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को मूल्य स्थिरीकरण निधि केलिए पत्र लिखा है, लेकिन प्रस्ताव की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हम तब तक कीमत-स्थिरीकरण के मामलों को सुलझाने केलिए कृषकों, व्यापारियों व नीलाकर्ताओं के साथ अलग से बातचीत कर सकते हैं।

श्री पी.टी. तोमस ने इलायची केलिए स्थायी समर्थन कीमत की इच्छा प्रकट की । स्पाइसेस बोर्ड इस के भाग के रूप में राज्यों की राजधानियों में स्पाइस फ्रैन्चाइस शोप प्रारंभ करने पर विचार कर सकता है। अगर घरेलू विपणि पर ध्यान नहीं दिया जाता तो केवल किसान ही भुगतेगा। इसलिए घरेलू विपणि बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय ने इडुक्की पर एम.एस.स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को पढकर सुनाया । अगर भारत सरकार एफ एस टी एल के ज़रिए स्पाइसेस बोर्ड को 250.00 करोड रुपए देती है तो हम इलायची खरीदकर अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। बिक्री कीमत और सारा मुनाफा किसानों को मिलेगा । सरकार द्वारा विपणि में हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है।

सामान्य

1. विश्व व्यापार संगठन परिसंवादः

श्री फिलिप कुरुविला ने बताया कि केरल के विश्व व्यापार संगठन सेल निर्यात के घट जाने के कारण और इस मामले में वे कैसे मदद कर सकते हैं, इसकी खोज में है। इस सिलसिले में, केरल सरकार विश्व मसाला संगठन तथा मसाला निर्यातकों के सहयोग से कालीमिर्च, इलायची, हल्दी, अदरक व जायफल जैसे केरल-आधारित मसालों पर 13 दिसंबर 2011 को कोच्ची में एक परिसंवाद का आयोजन कर रही हैं । स्पाइसेस बोर्ड इस प्रस्तावित परिसंवाद का समायोजन कर रहा है । इस परिसंवाद में किसानों को भी आमंत्रित किया गया है।

2. कर्नाटक में कालीमिर्च विकासः

श्री अबुल कलाम ने एन एच एम के अधीन कर्नाटक में कालीमिर्च पुनरोपण व पुनर्युवन कार्यक्रम केलिए बोर्ड के प्रस्ताव का उल्लेख किया । अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को अगले वर्ष लिया जाएगा ।

3. कनाटक में स्टाफ की रिक्तियाँः

श्री अबुल कलाम ने कर्नाटक स्थित बोर्ड के कार्यालयों में स्टाफों की कमी, खासकर काफी पदाधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद, की ओर ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने सूचित किया कि फील्ड मेन, सहायक निदेशकों व वैज्ञानिकों के पद क्षेत्र कार्यालयों व आर आर एस, सकलेशपुर में रिक्त पडे हैं।

उन्होंने बोर्ड से, चिकमगलूर से 150 कि.मी. दूर स्थित कलासा में बोर्ड का एक नया कार्यालय प्रारंभ करने का आग्रह भी किया । कलासा और आस-पास के किसानों को बोर्ड से किसी प्रकार की सहायता केलिए चिकमगलूर तक आने-जाने में काफी दिक्कत होती है।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा ।

4. आई सी आर आई, मैलाडुम्पारा में ज़मीनः

श्री जी. मुरलीधरन ने बताया कि आई सी आर आई में करीब 150 एकड ज़मीन उपलब्ध है। वहाँ पर कुछ और मसालों की खेती की जाती तो बेहतर होती । हम इस अनुपयोगी ज़मीन से मसालों की उपज बढा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि XII पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आई सी आर आई में प्रदर्शन प्लोटों की शुरूआत की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय ने इतनी बडी संख्या में बोर्ड-बैठक में उपस्थित होने केलिए बोर्ड सदस्यों को धन्यवाद किया ।

अध्यक्ष महोदय को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सायं 6.00 बजे बैठक समाप्त हुई ।

****